न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल मध्यप्रदेश

निगरानी 1556-PBR-15

प्रकरण क्रमांक .... / 2014–15

01. प्रशान्त अग्निहोत्री आत्मज श्री के एस अग्निहोत्री
आयु 43 वर्ष

02 श्रीमती शीला अग्निहोत्री पत्नि कृपा शंकर अग्निहोत्री
आयु 73 वर्ष

03 श्रीमती सपना अग्निहोत्री पत्नि नवनीत अग्निहोत्री
सभी निवासीगण ग्राम समसगढ तहसील हुजूर
जिला भोपाल मध्यप्रदेश

— निगरानीकर्ता

विरूध्द

1. श्रीमती सरोज मेहरा पत्नि कामेश्वर दयाल मेहरा
आयु वयस्क

2 श्री कनिष्क मेहरा आत्मज श्री कामेश्वर दयाल मेहरा
दोनो निवासीगण म नं 48 निर्मला कल्पना हाउसिंग
सोसायटी चूनाभटटी भोपाल

— उत्तरवादीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण श्रीमान राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल रानिम - 04 के प्रकरण क्रमांक 9/अ–12/14–15 में की गई कार्यवाही दिनांक 22.04.2015 एवं दिनांक 23.04.15 में की गई सीमाकन कार्यवाही जो कि क्षेत्राधिकार रहित है के विरूध्द यह निगरानी निम्न तथ्यों व आधारो पर समय सीमा में न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का सार संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागणों की ग्राम समसगढ तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित भू आराजी खसरा क्रमांक 320, 321, 322 एवं 247 कुल रकबा 2.962 हेक्टेयर पटवारी हल्का नम्बर 42 तह हुजूर भोपाल में स्थित है जिसे निगरानीकर्तागणों ने दिनांक 20.08.2008 को जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1556-PBR/15 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, फन्दा तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, फन्दा तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 21-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	